

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....सहायक कलेक्टर SPD मुकाम.....वायतु

.....काउन्सिलिंग कॅसेस बनाम.....साउथवॉरिंग कॅसेस

किस्म मुकदमा.....राजस्व आदेश नं.....112 सन्.....2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/03/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>कुश भक्ति एवरी</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। बिप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>21/04/2022</u> को पेश हो।</p>	
21/04/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/प्रतिवादी के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी अजवाबे गये, जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। अन्तर्गत डोट्टर पत्रावली दिनांक 04/07/22 को पेश की।</p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु जिला - वायतु</p>	
04/07/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/प्रतिवादी की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। अन्तर्गत डोट्टर पत्रावली दिनांक-10/10/2022 को पेश की।</p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु जिला - वायतु</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18/10/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी डिलेवर्ड रसिदे प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित / न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिवक्ता बायतु  
जिला-बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड  
क्रमांक : बाड़ / 2022 / 1308  
प्रार्थी  
1. काउन्सिलर  
जाति रा  
पटवर्

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1308

दिनांक : 18/10/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. कालुसिंह पुत्र लालसिंह वगैरा 04,  
जाति राजपुत, निवासी मलवा उत्तराद,  
पटवार मण्डल चीबी,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)


1. आम्बसिंह पुत्र मगनसिंह वगैरा 09,  
जाति राजपुत, निवासी मलवा उत्तराद,  
पटवार मण्डल चीबी,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 112/2022

### आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा -- मलवा उत्तराद, पटवार हल्का -- चीबी, तहसील -- गिड़ा, जिला-- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 185/19 रकबा 7.7012 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 1309 - 1313  
प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का चीबी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कालुसिंह पुत्र लालसिंह वगैरा 04,
4. विप्रार्थी श्री आम्बसिंह पुत्र मगनसिंह वगैरा 09,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक 18/10/2022  
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-बाड़मेर